

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय
नवगछिया, भागलपुर।

सत्र वाद संख्या – 21(A)/1998

विचारण संख्या – 09 / 2026, C. I. S. No. 3121/1998

बिहार राज्य बनाम् मो0 बिल्ला

06.06.2026

प्रस्तुत वाद के एकमात्र अभियुक्त मो0 बिल्ला को फरार घोषित किया जा चुका है। अभियोजन की हाजिरी है। साक्षी अनुपस्थित है।

अभियोजन की ओर से अनुरोध किया गया कि अभियुक्त अनुपस्थित है। अभियुक्त को फरार घोषित किया जा चुका है। साक्षी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। भविष्य में जब अभियुक्त उपस्थित होते हैं या उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थापित किया जाता है, तब साक्षी प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल अभियोजन का साक्ष्य अन्तर्गत धारा – 299 द0 प्र0 स0 बंद किया जाय।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त मो0 बिल्ला को दिनांक 02.06.2026 को ही प्रस्तुत वाद में फरार घोषित किया जा चुका है। अन्तर्गत धारा – 299 द0 प्र0 स0 अभियोजन को साक्षी प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। परन्तु साक्षी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन का अनुरोध स्वीकृत करते हुए साक्ष्य अन्तर्गत धारा – 299 द0 प्र0 स0 बंद किया जाता है।

कार्यालय उपरोक्त फरार एकमात्र अभियुक्त के विरुद्ध स्थायी अधिपत्र निर्गत करें एवं अभिलेख को अभिलेखागार में इस निर्देश के साथ जमा करें कि न्यायालय की अनुमति के बगैर अभिलेख को विनष्ट न किया जाय।

ह0/—

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय
नवगछिया, भागलपुर।